फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमू (जयपुर)

कस्तूरी देवी बनाम भुवाना उर्फ भवानी

मुकदमा संख्या /वर्ष : 13 /2021

वाद

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	10/3/21	वकील वादी उप० बहस सुनी गई। पत्रावली बास्ते अवलोकन। आदेश दिनांक 19/3/21 को पेश हो।	
	19/3/21	वकील [illegible] न पेश, कार्य स्थगित [illegible] पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 30/3/21 को पेश हो।	
	30/3/21	वकील वादी उप० पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिखित बहस का अध्ययन किया गया। वादी गण का वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय कॉपी पृथक से लिखाई जाकर प्रारम्भ किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर इर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।	

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:56:07 IST
Reason: SelfAttested

मु0सं0–13/2021
उनवान–कस्तुरी देवी वगै0 बनाम भुवाना उर्फ भवानी वगै0
निर्णय दिनांक:–30.03.2021

न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–13/2021

उनवान

1. कस्तुरी देवी पत्नि श्री प्यारेलाल
2. सत्यनारायण
3. बालमुकन्द
4. श्रवण
5. पूरण

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम भूतेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. भुवाना उर्फ भवानी पुत्र श्योनाथ, जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम भूतेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती

निर्णय

दिनांक :–30.03.2021

वादीगण द्वारा वाद पत्र बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती का इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण वाके ग्राम भूतेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के निवासी हैं व काश्तकार पेशा व्यक्ति हैं, जोकि काश्त कर अपना जीवन यापन करते हैं। वाके ग्राम भूतेड़ा, पटवार हल्का भूतेड़ा, भू–अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित साबिक आराजी खसरा नं0 504 व 505 स्थित हैं, जिसके दौराने बन्दोबस्त हाल खसरा नं0 1801 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 1804 रकबा [illegible] है0, खसरा नं0 1795 रकबा 0.40 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.53 है[illegible] कायम किये गये, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के [illegible] जागीरदार के समय से वादीगण के पूर्वज तुलसी पुत्र नाम[illegible] जाति ब्राहम्ण के नाम सम्वत् 2010 से 23 की खतौनी बन्दोबस्त के कॉलम नं0 4 में दर्ज एवं अंकित रही है, जिसको जागीरदारान ने वादीगण के पूर्वज को माफी में दी थी, तथा जागीरदारान के समय से ही वादीगण के पूर्वज व उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान काबिजकाश्त रहे हैं, प्रतिवादी सं0 1 के नाम का कोई व्यक्ति ग्राम भूतेड़ा, तहसील चौमूं में नहीं रहता है और न ही प्रतिवादी सं0 1 के नाम से कोई व्यक्ति के कब्जे में उक्त भूमि रही

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sh
Date: 2021.07.07 16:56:07 IS
Reason: SelfAttested

है। बल्कि सही एवं वास्तविक तथ्य यह है कि आराजी जैर वादग्रस्त कृशि भूमि पुश्तैनी कादिमी काश्त की भूमि है, जिस पर वादीगण एवं वादीगण के पूर्वजों का कब्जाकश्त रहा है, जो इस वादपत्र में विवादग्रस्त है।

आराजी जैर विवादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण के पूर्वजों की खातेदारी की भूमि थी जिसे प्रथम बन्दोबस्त के समय ही गलत रुप से प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदार कॉलम नं0 5 में अंकित कर दिया था। जबकि खतौनी बन्दोबस्त के कॉलम नं0 4 में उपभोक्ता के कॉलम में वादीगण के पूर्वज तुलसा पुत्र नानग का ही नाम दर्ज रहा है। बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने गलत रुप से प्रतिवादी सं0 1 के नाम आराजी जैर विवादग्रस्त कृषि भूमि का अंकन किया है। जिसका उनको कोई विधिक क्षेत्राधिकार नहीं है। बल्कि सही एवं वास्तविक तथ्य यह है कि आराजी जैर कृषि भूमि बजमाने जागीरदार से तुलसा पुत्र नानग काश्त करते थे और उनकी मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि पर वादीगण सं0 2 ता 5 के पिता व वादी सं0 1 के पति प्यारेलाल काश्त करते थे तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर तन्हा काबिज काश्त हैं तथा लगान सरकार अदा करते चले आ रहे हैं। जब प्रतिवादी सं0 1 के नाम का कोई व्यक्ति ग्राम भूतेड़ा में है ही नही तो बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा उनके नाम खतौनी बन्दोबस्त में नाम दर्ज करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। वादीगण के पूर्वज आराजी जैर भूमि पर कादिमी से काबिज काश्त हैं जिसका अंकन राजस्व खसरा गिरदावरी सम्वत् 2011 से 2013, 2014 से 2015, 2016 से 2019 व सम्वत् 2035 से 2039 तक वादीगण के पिता/पति प्यारेलाल उर्फ प्यारे का नाम अंकन है अर्थात् इन दस्तावेजों से यह पूर्ण रुप से साबित है कि आराजी जैर कृषि भूमि पर वादीगण एवं उसके पूर्वजों का कादिमी से कब्जाकाश्त है। आराजी जैर विवादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण की पुश्तैनी कादिमी खातेदारी भूमि है जिस पर बिना किसी अधिकार के प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व कर्मचारियों ने अंकन कर दिया जबकि सही एवं वास्तविक तथ्य यह है कि प्रतिवादी सं0 1 के नाम का कोई व्यक्ति राजस्व ग्राम भूतेड़ा में कभी नही रहा औश्र न ही है। इस बाबत वादीगण ने पूर्व में भी चाराजोही हेतु कार्यवाही की थी, लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व अभिलेख में वादीगण का नाम अंकन नहीं करने के कारण वादीगण को श्रीमान के समक्ष अपने अधिकारों की सुरक्षार्थ प्रस्तुत करना लाजमी आया है।

वादीगण को कुछ भू–माफिया लोग जबरन उसको उक्त वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने की अविधिक कार्यवाही को अंजाम करने की कुचष्ठा करने लगे तो वादीगण ने अपने पिता/पति की मृत्यु होने पर वाद अधीन कृषि भूमि का नामान्तकरण अपने नाम से करवाने हेतु प्रशासन गांवों के संग अभियान 2013 में हल्का पटवारी को आवेदन प्रस्तुत किया तो हल्का पटवारी ने उक्त भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज होना बताकर नामान्तकरण खोलने [illegible] को भू–माफिया लोगों द्वारा लगातार बेदखल करने की धमकी देने [illegible] राजस्व अभिलेख में वादीगण का नाम जरिये नामान्तकरण [illegible] वादीगण ने अपने अभिभाष्य से मिलकर राजस्व अभिलेखों की सत्य प्रतियां [illegible] कर अविलम्ब श्रीमान के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। दिनांक 11.04.2013 को कुछ [illegible] माफिया लोग वादीगण की कब्जेकाश्त की उपरोक्त भूमि पर आये और जबरन बेदखल करने की कार्यवाही करने लगे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:56:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मु0सं0–13/2021
उनवान–कस्तुरी देवी वगै0 बनाम भुवाना उर्फ भवानी वगै0
निर्णय दिनांकः–30.03.2021

वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा गया है कि वादीगण को राजस्व ग्राम भूतेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के हाल खसरा नं0 1801 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 1794 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 1795 रकबा 0.40 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.53 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व तदनुसार राजस्व अभिलेख में वादीगण का नाम इन्द्राज किया जावे तथा खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादी से दिलवाया जावे। अन्य दादरसी जो न्यायालय श्रीमान हितकर वादीगण मुनासिब समझें प्रतिवादीगण से दिलवाई जावे।

वादीगण ने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य के शपथ–पत्र, साक्ष्य जमाबन्दी व लिखित बहस प्रस्तुत की।

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उपस्थित। पत्रावली व लिखित बहस तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा निवेदन किया गया कि वादीगण को राजस्व ग्राम भूतेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के हाल खसरा नं0 1801 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 1794 रकबा 0.10 है0, खसरा नं0 1795 रकबा 0.40 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 0.53 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व तदनुसार राजस्व अभिलेख में वादीगण का नाम इन्द्राज किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व लिखित बहस का अध्ययन किया गया। वादीगण प्रतिवादी सं0 1 के नाम से चल रही खातेदारी भूमि का पुश्तैनी कब्जेकाश्त के आधार पर स्वयं के नाम से घोषणा करवाना चाहते हैं। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर की वृहत्त बैंच ने भी एडवर्स पजेशन के संबंध में सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं कि एडवर्स पजेशन (प्रतिकूल कब्जे) के आधार पर किसी खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त कर अन्य की खातेदारी की घोषणा एडवर्स पजेशन के आधार पर नहीं की जा सकती। वादी ने उक्त वाद में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि विवादित आराजी में सहवन से रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज हुआ है।

अतः वादीगण का वाद साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:56:07 IST
Reason: SelfAttested

मु0सं0–13/2021
उनवान–कस्तुरी देवी वगै0 बनाम भुवाना उर्फ भवानी वगै0
निर्णय दिनांक:–30.03.2021

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

उनवान

1. कस्तुरी देवी पत्नि श्री प्यारेलाल
2. सत्यनारायण
3. बालमुकन्द
4. श्रवण
5. पूरण

समस्त जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम भूतेडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. भुवाना उर्फ भवानी पुत्र श्योनाथ, जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम भूतेड़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती

मुकदमा नं0:–13/2021

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू सुश्री सीमा शर्मा आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वादीगण का वाद साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निजी .....मबलिक ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ..... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज 30.03.2021 को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:56:07 IST
Reason: SelfAttested

मोहर

दस्तखत सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)

ओहदा.....

मु0सं0–13/2021
उनवान–कस्तुरी देवी वगै0 बनाम भुवाना उर्फ भवानी वगै0
निर्णय दिनांकः–30.03.2021

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	3	जोड़	0

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:56:07 IST
Reason: SelfAttested